

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बरही, हजारीबाग।

वाद सं०-08/2022

धारा-144 द०प्र०स०

हरि प्रसाद मेहता -बनाम- संजय पासवान वगै०

तारीख

:- आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर :-

अभियुक्ति

प्रस्तुत वाद कि कार्रवाई आवेदक के आवेदन पर इनके विज्ञ अधिवक्ता द्वारा दिये गए तर्क के आधार पर मौजा भण्डरा, थाना- पदमा ओ०पी०, जिला- हजारीबाग के अन्तर्गत खाता सं-01 प्लॉट सं-250/125 रकवा 3.45 ए० मधे रकवा 04 डी० जिसकी चौहदी उ०-नीज आवेदक,द०-नीज आवेदक, पू०-रोड, प०-नीज आवेदक वाली भूमि के कारण कभी भी शांति भंग होने कि संभावना बनी हुई है, शांति व्यवस्था के मद्देनजर धारा 144 द०प्र०स० के तहत कार्यवाही प्रारंभ करते हुए पक्षकारों को विधिवत नोटिस निर्गत किया गया तथा कारणपृच्छा एवं भूमि संबंधीत कागजात दाखिल करने हेतु निर्देशित किया गया।

नोटिस प्राप्ति के पश्चात उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए तथा अपना-अपना पक्ष रखा।

प्रथम पक्ष द्वारा दाखिल कारणपृच्छा में उल्लेख किया गया है मौजा भण्डरा, खाता सं-01 प्लॉट सं-250/125 रकवा 3.45 ए० मधे रकवा 04 डी० भूमि आवेदक के पिता बद्री प्रसाद मेहता ने विक्रेता लोदो मियां से दिनांक 06.02.1980 ई० में डीड सं० 1457 को रजिस्ट्री केवाला द्वारा हासिल है बद्री प्रसाद मेहता के मृत्यु के बाद इनके तिन पुत्र क्रमश 1. हरि प्रसाद मेहता 2. कपिल प्रसाद मेहता 3. प्रभु प्रसाद मेहता हुए जो खरिदगि तिथि से प्रश्नगत भूमि को खेती लायक बनाया तदोपरान्त विपक्षीगण मकान बनाने एवं हडपने के उदेश्य से बुनियाद खोदने लगे जिस कारण इस वाद को लाया गया है। प्रथम पक्ष भूमि संबंधित कागजात में डीड सं०- 1457 दिनांक 6.02.1980 एवं वकालतन आवेदन कि छायाप्रति दाखिल किया गया है।

द्वितीय पक्ष ने अपने कारणपृच्छा में उल्लेख किया है कि प्रश्नगत भूमि द्वितीय पक्षकार को विक्रेता समन साव पिता गिरधारी साव से डीड नं०- 13883 दिनांक 25.03.1981 डीड नं०- 13858 दिनांक 13.12.1987 एवं डीड नं०- 5490 दिनांक 28.04.1989 के द्वारा मौजा भण्डरा के खाता नं०- 01 प्लॉट नं० 250 रकवा क्रमश: 76डी०, 74 डी० एवं 1.35 ए० भूमि प्राप्त है। जिसे प्रथम पक्ष हडपना चाहती है तथा नाहक परेशान करने के धेय से इस वाद कि कार्रवाई को लाया गया ह। प्रथम पक्ष जिस सेल डीड सं०-1457 दिनांक 06.02.80 से प्रश्नगत भूमि को अपना बता रहे है उस डीड के विक्रेता लोदो मियां द्वारा उस सेल डीड को **Udrement No. 1955** दिनांक 1981 द्वारा केंसल किया गया है जो कि बुक न० 1 वलयुम न०-43 पेज न०-430 से 433 मे है। विपक्षीगण कभी भी द्वितीय पक्ष के पूर्वजों द्वारा कय कि गई भूमि पर दखल कब्जे में नहीं थे और न ही जमीन उनकी है। वर्ष 2004 में प्रथम पक्ष की माँ डेगनी मसोमात द्वारा अंचल कार्यालय,पदमा में हमारे पूर्वजों द्वारा कय कि गई भूमि से बेदखल करने हेतु आवेदन दिया,जिसमे कि अंचल अधिकारी पदमा द्वारा प्रश्नगत भूमि का गहन जाँच पडताल तथा कागजातों के आवलोकन कर प्रथम पक्ष के आवेदन को खारिज किया गया है। द्वितीय पक्ष भूमि संबंधीत हुकनामा, विक्रेता समन साव पिता गिरधारी साव से कय डीड नं०- 13883 दिनांक 25.03.1981 डीड नं०- 13858 दिनांक 13.12.1987 एवं डीड नं०- 5490 दिनांक 28.04.1989 एवं रशीद तथा केंसलनामा सं 1457/80 साथ ही अंचल अधिकारी,कार्यालय में पारित खारिज आदेश की छायाप्रति दाखिल किया है।


अंचल अधिकारी,पदमा ने अपने पत्रांक 42 दिनांक 04.02.2022 से जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया है,तथा अपनी प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि मौजा भण्डरा के गैर मजरूआ खास खाता न०-1 प्लॉट न०-250 रकवा 0.04 ए० भूमि पर द्वितीय पक्ष संजय पासवान द्वारा बकरी शेड़ निर्माण किया जा रहा है तथा इसके आस-पास लगभग 1.00 ए० भूमि पर द्वितीय पक्ष का ही गेहूँ का फसल लगा हुआ है। उक्त भूमि के संबंध में कागजात के अवलोकन से ज्ञात है कि यह भूमि द्वितीय पक्षकार को विक्रेता समन साव पिता गिरधारी साव से डीड नं०- 13883 दिनांक 25.03.1981 डीड नं०- 13858 दिनांक


13.12.1987 एवं डीड नं०- 5490 दिनांक 28.04.1989 के द्वारा मौजा भण्डरा के खाता नं०- 01 प्लॉट नं० 250 रकवा क्रमशः 76 डीड, 74 डीड एवं 1.35 ए० भूमि प्राप्त है। प्रथम पक्ष आवेदक हरि प्रसाद मेहता पिता बंदी प्रसाद मेहता से प्राप्त कागजात की जांच किया जिसमें ज्ञात हुआ कि प्रथम पक्ष को यह भूमि केवाला सं०- 1457 वर्ष 1980 से खाता नं० 01 प्लॉट नं० 250/125 रकवा 4.50 एकड़ मधे रकवा 3.45 ए० भूमि विक्रेता लेदो मियां पिता वजीर मियां ग्राम भण्डरा से प्राप्त है। जिसके बारे में विपक्षी की ओर से एक केन्सल नामा डीड का मूल प्रति अवलोकन कराया गया एवं छायाप्रति प्रस्तुत करया गया जो कि डीड सं०- 1155 दिनांक 23.01.1981 है जिसपर अंकित है कि केवाला सं० 1457 वर्ष 1980 से मौजा भण्डरा के खाता नं० 01 प्लॉट नं० 250/125 रकवा 4.50 एकड़ मधे रकवा 3.45 ए० रद्द किया गया है।

उभय पक्षों के कारणपृच्छा एवं अधिवक्ताओं के दलील एवं पक्षकारों द्वारा दाखिल कागजातों तथा अंचल अधिकारी, पदमा के जांच प्रतिवेदन के अनुसार यह स्पष्ट है कि द्वितीय पक्ष द्वारा निबंधित केवाला से प्ररनगत भूमि प्राप्त किया है और इसका जमाबन्दी कायम होकर लगान रसीद भी द्वितीय पक्ष के पूर्वजों के नाम से निर्गत है। जिस पर वह मकान निर्माण का कार्य कर रहे है, जिसे प्रथम पक्ष बेदखल करना चाहते है। जैसा कि इनके विज्ञ अधिवक्ता द्वारा बहस के क्रम में बताया गया। भूमि पर द्वितीय पक्ष का वर्षों से दखल कब्जा चला है।

फलतः उपयुक्त विवेचित तथ्यों के आलोक में वर्तमान वाद की कार्यवाही द्वितीय पक्ष में रिक्त (Vacate) करते हुए प्रथम पक्ष के विरुध बाधित (Absolute) किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित


अनुमण्डल अधिकारी,
बरही, हजारीबाग।


अनुमण्डल अधिकारी,
बरही, हजारीबाग।

C. C. W. J.